न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–47/11 (आरसीएमएस नं. 2011/00013)

1. हरफूल पुत्र मांगूराम (मृतक दौराने अपील)
   1/1. श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व. हरफूल उम्र 68 साल,
   1/2. रामरतन पुत्र स्व. स्व. हरफूल उम्र 48 साल,
   1/3. श्याम सुन्दर पुत्र स्व. हरफूल उम्र 39 साल,
   1/4. गब्बर सिह पुत्र स्व. हरफूल उम्र 29 साल,
   1/5. तारा देवी पुत्री स्व. हरफूल उम्र 42 साल,
2. श्रीमती प्रभाती देवी विधवा घीसाराम,
3. मूलचन्द पुत्र स्व. घीसाराम, जाति रैगर, निवासीगण ग्राम जोधपुरा (किराडोद) तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, तहसील कार्यालय कोटपूतली, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 26.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 22.12.2010 (प्रकरण संख्या 55/09) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को निरस्त करने का पूर्णतया तथ्यों एवं कानूनी प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट्स ने खातेदार काश्तकार रामलाल पुत्र भैरूराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1984 के खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.49 हैक्टयर लगानी 4.90 रूपया ग्राम किराडोद में स्थित को 8000/–आठ हजार रूपये विक्रय मूल्य अदा कर क्रय किया था एवं अपीलान्ट के हक में मिसल संख्या 661/84 के दिनांक 16.08.1985 के आदेशानुसार रामलाल के बजाय घासीराम पुत्र मांगूराम कौम रैगर निवासी जोधपुरा का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित करते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र घासीराम, हरफूल पुत्रान मांगूराम रैगर के नाम पंजीकृत करा दिया था तथा अपीलान्ट हरफूल का नाम सहवन से अंकित होने से रह गया व इसके पश्चात् भी आगामी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विक्रेता रामलाल का नाम ही अंकन हो गया जो

राजस्व रिकार्ड में सहवन सें अंकिन होने से रह गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश तथ्यों के विपरित गैर कानूनी तौर से पारित किया है, जो गैर कानूनी होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट का आराजी पर सन् 1984 से निरन्तर खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है एवं विक्रेता घासीराम का स्वर्गवास दिनांक 10.02.1994 को होने के पश्चात् अपीलान्ट प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जाना आवश्यक था व अपीलान्ट संख्या 1 के वारिसान का इस क्रयशुदा आराजी में 1/2 हक व हिस्सा एवं अपीलान्ट संख्या 2 व 3 को 1/2 हक व हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर है व पेटैन्ट क्लेरिकल गलती को दुरूस्त किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये कानूनन आवश्यक था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का निरस्त किये जाने का आदेश गैर कानूनी तौर पर पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2010 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.49 हैक्टयर वाके ग्राम किराडोद तहसील कोटपूतली में राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1984 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट की पूर्वज द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में भी यह तथ्य अंकित किये गये है कि वादग्रस्त आराजी को भू प्रबन्धक अधिकारी ने रिकार्ड में नाम दर्ज किये जाने के मुताबकि विक्रय पत्र मिसल नम्बर 661/84 तारीख फैसला दिनांक 16.08.1985 के द्वारा पारित किये है जिसकी अनुपालना में मिसल बन्दोबस्त 2037–56 में रामलाल पुत्र भैरूराम कौम धानका के स्थान पर घीसा, हरफूल पुत्रान मांगूराम का नाम दर्ज कर दिया गया था परन्तु आगे उपरोक्त आदेश का अमल राजस्व रिकार्ड में क्यों नही किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से वस्तुस्थिति की मौके व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना अपेक्षित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में तहसीलदार से मौके व रिकार्ड की विस्तृत जॉच रिपोर्ट तलब की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर